छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 (चैत्र 10, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) **पटल पर रखेंगे.**

(2) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, नगर पालिक निगम रायपुर में शामिल किये गये गांवों में विकास कार्य नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. शिव कुमार डहरिया, सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, सदस्य, रायपुर जिला अंतर्गत रावांभाटा में मेटल पार्क स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अनुदान तथा छूट नहीं दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, महासमुंद जिले में इंडियन ऑयल द्वारा पाइप लाइन बिछाने से रबी फसल को नुकसान होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत गणवेश खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन तथा नवम् (कार्यान्वियन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री फूलचंद सिंह, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
(5 बजे तक)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ विनियोग(क्रमांक 2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

रायपुर
दिनांक 29 मार्च, 2012